कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर।

कमांकः–शिविरा / प्रारं / सूअ / 13705 / एसआरथामस / नईदिल्ली / 17 दिनांक 3/4/17

एसआर थामस एंथोनी,
ए–69,होज खास,नई दिल्ली,
110016। रजिस्टर्ड

विषयः–सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के कम मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना हेतु आवेदन दिनांक 20.2.17(प्राप्ति दिनांक 3.3.17) मे वांछनीय सूचना की प्रमाणित प्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।
संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

सहायक लोक सूचना अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर।

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

अनौपचारिक टिप्पणी

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना के संबंध में।
प्रसंगः–आपकी अ.टि. क्रमांकः– शिविरा/ प्रारं/सू.अ.प्र /13705/ए–1/एसआरथामस/नई दिल्ली /17 दिनांक 08.03.2017 एवं प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 28.01.2017 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयांतर्गत प्रासांगिक अ.टि. के संबंध में लेख है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना के बिन्दु संख्या 03 से 11 की सूचना आरटीई अनुभाग से संबन्धित है तथा बिन्दु संख्या 01 से 02 तक की सूचना आरटीई अनुभाग से संबन्धित नही है। अतः इन बिन्दुओं की सूचना संबन्धित अनुभागों से प्राप्त कर प्रार्थी को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

बिन्दु संख्या 1:–उक्त सूचना आरटीई अनुभाग से संबंधित नहीं है।

बिन्दु संख्या 2:–उक्त सूचना आरटीई अनुभाग से संबंधित नहीं है।

बिन्दु संख्या 3:–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के तहत प्रवेशित एवं सत्यापित बालकों के संबंध में प्रतिवर्ष प्रतिबालक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिट कॉस्ट की राशि निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	वर्ष	प्रति बालक प्रतिवर्ष (यूनिट कॉस्ट)
1.	2012–13	9748 (निःशुल्क पाठ्य पुस्तके हेतु देय राशि–9748 रूपये में सम्मिलित है)
2.	2013–14	11704 (निःशुल्क पाठ्य पुस्तके हेतु देय राशि–11704 रूपये में सम्मिलित है)
3.	2014–15	14034 (निःशुल्क पाठ्य पुस्तके हेतु देय राशि–107)
4.	2015–16	17582 (निःशुल्क पाठ्य पुस्तके हेतु देय राशि–150)
5.	2016–17	14919 (निःशुल्क पाठ्य पुस्तके हेतु देय राशि–110)

बिन्दु संख्या 4:–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के तहत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं सत्यापित दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों की संख्या के संबंध में आरटीई पोर्टल से दिनांक 22.03.2017 को डाउनलोड रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

बिन्दु संख्या 5:–संबंधित गैर सरकारी विद्यालय को आरटीई एक्ट/2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं सत्यापित बालकों के संबंध में प्रति बालक पुनर्भरण राशि का भुगतान संबंधित गैर सरकारी विद्यालय के बैंक खाते में नियमानुसार किया जाता है।

क्र. सं.	वर्ष	प्रति बालक प्रतिवर्ष (यूनिट कॉस्ट)	निःशुल्क पाठ्य पुस्तके हेतु देय राशि
1.	2012–13	9748	(निःशुल्क पाठ्य पुस्तके हेतु देय राशि–9748 रूपये में सम्मिलित है)
2.	2013–14	11704	(निःशुल्क पाठ्य पुस्तके हेतु देय राशि–11704 रूपये में सम्मिलित है)
3.	2014–15	14034	107
4.	2015–16	17582	150
5.	2016–17	14919	110

बिन्दु संख्या 6–राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के उप नियम 5 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में दो बार सीधे विद्यालय को की जाएगी। अप्रेल से अगस्त की कालावधि के लिए पहली प्रतिपूर्ति अक्टूबर मास में की जायेगी और सितम्बर से शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक की कालावधि के लिए अन्तिम प्रतिपूर्ति जून के अन्त में की जायेगी। (प्रति संलग्न है)

बिन्दु संख्या 7:–Disbursement "Date" की सूचना संबंधित वीईईओ/जिशिअ प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा कार्यालयो से ली जानी अपेक्षित है।

बिन्दु संख्या 8:–राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रतिबालक प्रतिवर्ष यूनिट कॉस्ट का निर्धारण प्रतिवर्ष किया जाता है।

प्रमाणित

बिन्दु संख्या 9:—शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु राज्य सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानानुसार राज्य के निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के संबंध में प्रति बालक यूनिट कॉस्ट की राशि रूपये 14,919/— (अक्षरे चौदह हजार नो सौ उन्नीस रूपये) तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तके हेतु देय राशि—110/—रूपये निर्धारित की है। इस संबंध मे राज्य सरकार ने दिनांक 29.08.2016 को आदेश जारी किये है। प्रति संलग्न है।

बिन्दु संख्या 10:—इस संबंध में निदेशालय ने पत्र क्रमांक शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/18882/16—17/प्रथम किस्त/24 दिनांक 25.11.2016 में इस संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। (प्रति संलग्न है)

बिन्दु संख्या 11:—इस कार्य में पारदर्शिता रखने एवं बालकों, अभिभावको, विभिन्न कार्यालयों की सुविधा हेतु ऑनलाईन आरटीई वेब पोर्टल (www.rte.raj.nic.in) पर कार्य संपादन किया जा रहा है। आरटीई से संबंधित समस्त अद्यतन जानकारी आदेश, निर्देश, परिपत्र आरटीई पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

30/3/17

उपनिदेशक (आरटीई)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

सहायक निदेशक
सूचना का अधिकार

क्रमांकः—शिविरा/प्रारं/आरटीई/बी/सूअ/18869/श्री एस आर थॉमस/नई दिल्ली/15–16/72/06 दिनांकः— 30/03/17

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.9(1) शिक्षा-5/2010पार्ट

जयपुर, दिनांक [illegible] 2013

निदेशक,
प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा,
बीकानेर, राजस्थान।

विषय:—आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2013-14 में निःशुल्क प्रवेशित बालकों की फीस के पुनर्भरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2013-14 के लिए आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2013-14 में निःशुल्क प्रवेशित बालकों की फीस के पुनर्भरण के लिए वेब पोर्टल (dee.raj.nic.in) पर सत्यापन के पश्चात विद्यालयों द्वारा प्रविष्टि की जा रही है। वेब पोर्टल पर पूर्व सत्र 2012-13 की तुलना में सत्र 2013-14 में विद्यालयों द्वारा प्रतिभागी बालकों से वसूल की गई फीस में अप्रत्याशित वृद्धि सामने आयी है। यह वृद्धि राज्य सरकार द्वारा फीस वृद्धि आदेश क्रमांक प.8(17)शिक्षा-5/2004पार्ट II जयपुर दिनांक 1.6.2009 के अनुसार नहीं है। इस स्थिति का राज्य सरकार स्तर पर परीक्षण कर निम्न निर्देश तत्काल प्रभाव से क्रियान्विति करने हेतु प्रसारित किये जाते हैं:—

1. सत्र 2013-14 में गैर सरकारी विद्यालयों को, सत्यापन करने के उपरान्त [illegible] पाये गये बालकों की फीस का पुनर्भरण, सत्र 2012-13 में विद्यालय को पुनर्भरण की गई प्रति बालक फीस के आधार पर करने की कार्यवाही की जाए। परन्तु, जिन विद्यालयों की वर्ष 2012-13 में सत्यापित फीस रुपये 9748/- से अधिक थी और शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के प्रति बालक व्यय तक अर्थात् रुपये 9748/- तक सीमित कर दिया था उनके वर्ष 2013-14 में पुनर्भरण वर्ष 2012-13 की सत्यापित फीस के अनुसार होगा, बशर्ते कि यह राशि रुपये 11704/- अथवा उससे कम हो।
2. जिन विद्यालयों की सत्र 2012-13 की सत्यापित फीस राज्य सरकार द्वारा 2013-14 की निर्धारित फीस रुपये 11,704/- से अधिक है, का पुनर्भरण वर्ष 2013-14 सत्र के लिए रुपये 11,704/- की दर से किया जावेगा।
3. जिन गैर सरकारी विद्यालयों ने सत्र 2013-14 में प्रथम बार अधिनियम के अन्तर्गत बालकों को निःशुल्क प्रवेश दिया है, उनका पुनर्भरण सत्यापन दल द्वारा विद्यालय की 2012-13 की सत्यापित प्रति बालक फीस अथवा 2013-14 की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रति बालक फीस, जो भी कम हो, के आधार पर किया जायेगा।
4. जिन विद्यालयों ने 2012-13 की तुलना में सत्र 2013-14 में फीस वृद्धि की है वे फीस वृद्धि के अपने प्रस्ताव आदेश क्रमांक प.8(17) शिक्षा-5/2004 पार्ट-II जयपुर, दिनांक 1.6.2009 के अनुसार तैयार कर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी राज्य सरकार के संदर्भित आदेश के आधार पर प्रस्तावों का परीक्षण करेंगे तथा फीस वृद्धि उचित पायी जाने पर अनुमोदन करेंगे।
5. उपरोक्त बिन्दु सं. 4 में वर्णित कार्यवाही के द्वारा अनुमोदित फीस के आधार पर पुनर्भरण राशि के एरियर के प्रस्ताव तैयार किये जाकर भुगतान की कार्यवाही निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा करवाई जाएगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फीस वृद्धि के प्रस्तावों पर निर्णय की प्रतीक्षा किये बिना बिन्दु सं. 1, 2 व 3 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्काल पुनर्भुगतान की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। यदि किसी विद्यालय के लिए एरियर के भुगतान की स्थिति आती है तो उसके भुगतान की कार्यवाही पृथक से करें।

उक्त निर्देशों की पालना अविलम्ब सुनिश्चित करें।

संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:–शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/यूनिट कॉस्ट/18882/13-14/76 दिनांक 15.11.13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
7. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा........................
8. जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.शि.)........................। .... को प्रेषित कर लेख है कि जिले के सभी अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित कर आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

निबुसंख्या-3

8/8 503

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक:प.9(1)शिक्षा-5/2010 पार्ट CR. 111968141 दिनांक-26/12/2014

RTE
31/12

निदेशक
प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

विषय:- आरटीई अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत सत्र 2014-15 में गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की फीस के पुनर्भरण के संबंध में।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 11.11.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु सत्र 2014-15 में नवप्रवेशित एवं सत्र 2012-13 व 2013-14 में प्रवेशित तथा क्रमोन्नति के बाद सत्र 2014-15 में अध्ययनरत बालकों की फीस का पुनर्भरण गैर सरकारी विद्यालयों का किया जाना है, बालकों के भौतिक सत्यापन के पश्चात् गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन आरटीई वेब पोर्टल (rte.raj.nic.in) पर प्रविष्टि किया जाना है तथा विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के सही पाये जाने के आधार विद्यालय द्वारा क्लेम बिल जनरेट कर उसकी हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी संबंधित बीईईओ/डीईओ(मा.) कार्यालय में रजिस्टर्ड(एडी) डाक से प्रेषित किये जाने के बाद पुनर्भरण किया जाना है। गैर सरकारी विद्यालयों की फीस के पुनर्भरण के संबंध में पूर्व में पत्र क्रमांक प. 9(1)शिक्षा-5/10 पार्ट दिनांक 11.11.2013 (पृष्ठ 403/सी) के द्वारा जारी निर्देशों के अतिक्रमण में निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. सत्र 2014-15 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों को कक्षा व माध्यमवार फीस का [illegible] निम्नांकित तीन विकल्पों में से जिस विकल्प में सबसे कम राशि है उसके [illegible] पर किया जायेगा :-

(i) सत्यापन दल द्वारा विद्यालय की सत्यापित की गई कक्षा व माध्यमवार प्रतिबालक प्रतिवर्ष फीस

अथवा

(ii) राज्य सरकार द्वारा सत्र 2014-15 के लिए निर्धारित युनिट कॉस्ट [illegible] 14034/-रु. प्रतिबालक प्रतिवर्ष ।

अथवा

(iii) राज्य स्तरीय फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित विद्यालय की कक्षा व माध्यमवार प्रति बालक प्रति वर्ष फीस।

2. यदि किसी विद्यालय की फीस का निर्धारण तो हो गया है लेकिन [illegible] कक्षा/कक्षाओं (कक्षा-1 से पूर्व की कक्षा/कक्षाओं) की फीस का निर्धारण नहीं हुआ है तो उन कक्षाओं की फीस का पुनर्भरण उस विद्यालय द्वारा वास्तव में [illegible] फीस अथवा फीस निर्धारण समिति द्वारा कक्षा-1 या इससे पूर्व की कक्षा के लिए [illegible] गयी फीस या यूनिट कॉस्ट की राशि 14034/-रु. में से जो भी कम होगी [illegible] पर किया जाएगा।

3. जिन विद्यालयों की फीस का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है उनका [illegible]

[illegible]

उपरान्त, पुनर्भरण की गयी अतिरिक्त राशि का समायोजन अगली किश्त में किया जाएगा।

4. सत्र 2014–15 में गैर सरकारी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि 107/–रू प्रतिबालक प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं अध्ययन् सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रथम किश्त के साथ पुनर्भरण किया जाएगा।

5. ऐसे गैर सरकारी विद्यालय जिन्होंने निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई है, उन्हें विद्यालय में आर टी ई एक्ट के तहत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध कराने के बाद ही द्वितीय किश्त का पुनर्भरण किया जाएगा।

26/12/14

उप शासन सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/पुनर्भरण/18882/14–15/2 दिनांकः– 2.1.15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. निजी सचिव निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. निजी सचिव उप शासन सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त निर्देश आपके अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को प्रसारित करने का श्रम् करावें।
6. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा.......................।
7. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा .... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ समस्त ब्लॉक कार्यालयों को उक्त निर्देश प्रसारित करें।

2/1/15

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
o/c प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक:प.9(6)शिक्षा-5/यूनिटकास्ट/2015 दिनांक 18-11-15

निदेशक,
प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

विषयः- आरटीई अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत सत्र 2015-16 में गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की फीस के पुनर्भरण के संबंध में।

सन्दर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 26.12.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के कम में लेख है कि आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु सत्र 2015-16 में नवप्रवेशित एवं सत्र 2012-13, 2013-14 व 2014-15 में प्रवेशित तथा कमोन्नति के बाद सत्र 2015-16 में अध्ययनरत बालकों की फीस का पुनर्भरण गैर सरकारी विद्यालयों का किया जाना है, बालकों के भौतिक सत्यापन के पश्चात गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन आरटीई वेब पोर्टल (rte.raj.nic.in)पर प्रविष्टि किया जाना है तथा विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के सही पाये जाने के उपरान्त विद्यालय द्वारा क्लेम बिल जनरेट कर उसकी हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी संबंधित बीईईओ/डीईओ(मा) कार्यालय में पंजीकृत (एडी)डाक से प्रेषित किये जाने के बाद पुनर्भरण किया जाना है। गैर सरकारी विद्यालयों की फीस के पुनर्भरण के संबंध में पूर्व में पत्र कमांक प.9(1)शिक्षा-5/2010 पार्ट दिनांक 26.12.2014 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अतिक्रमण में निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते है :-

1. वर्तमान में फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस के आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय की रोक लगी हुई है। अतः गैर सरकारी विद्यालयों को राहत देते हुए शैक्षिक सत्र 2015-16 में अध्ययनरत बालकों की फीस का अन्तरिम पुनर्भरण किया जाएगा। यह पुनर्भरण शैक्षिक सत्र 2014-15 में किए गए पुनर्भरण अथवा सत्र 2015-16 में सत्यापित फीस में से जो भी कम हो के आधार पर किया जाएगा तथा पुनर्भरण की शेष राशि का समायोजन न्यायालय के अन्तिम निर्णय के आधार पर किया जाएगा।
2. जिन गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2015-16 में पहली बार निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हुआ है लेकिन ये विद्यालय शैक्षिक सत्र 2014-15 अथवा उसके पूर्व के वर्षो से संचालित है, ऐसे विद्यालयों की फीस का अन्तरिम पुनर्भरण भी शैक्षिक सत्र 2014-15 में विद्यालय की सत्यापित फीस अथवा 2015-16 में सत्यापित फीस अथवा फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित फीस में से जो भी कम है के आधार पर किया जाएगा तथा पुनर्भरण की शेष राशि का समायोजन न्यायालय के अन्तिम निर्णय के आधार पर किया जाएगा।

3. ऐसे गैर सरकारी विद्यालय जो शैक्षिक सत्र 2015-16 में ही प्रारम्भ हुए है उन विद्यालयों की फीस का अन्तरिम पुनर्भरण सत्र 2015-16 की सत्यापित फीस के आधार पर किया जाएगा तथा इनकी शेष राशि का समायोजन फीस निर्धारण समिति द्वारा फीस निर्धारित करने तथा न्यायालय के अन्तिम निर्णय के आधार पर किया जाएगा।

...2

विनु संख्या-3

538 506

[illegible] जो किसी एक माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) में शैक्षिक सत्र 2014–15 या इससे पूर्व के [illegible] संचालित है तथा अतिरिक्त माध्यम की मान्यता शैक्षिक सत्र 2015–16 में ली है। इन [illegible] को प्रथम माध्यम में अध्ययनरत बालकों की फीस का अन्तरिम पुनर्भरण शैक्षिक सत्र [illegible] विद्यालय की सत्यापित फीस अथवा 2015–16 में सत्यापित फीस अथवा फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित फीस में से जो भी कम है, के आधार पर किया जाएगा। इनकी [illegible] राशि का समायोजन फीस निर्धारण समिति द्वारा फीस निर्धारित करने तथा न्यायालय के अंतिम निर्णय के आधार पर किया जाएगा।

5. किसी भी दशा में फीस का पुनर्भरण यूनिट कास्ट की राशि 17,582/-- रु प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. वर्ष 2014–15 में गैर सरकारी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि 107/--रु प्रतिबालक प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रथम किस्त के साथ पुनर्भरण किया जाएगा।

7. ऐसे गैर सरकारी विद्यालय जिन्होंने निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई है, उन्हें विद्यालय में आर टी ई एक्ट के तहत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध कराने के बाद ही द्वितीय किस्त का पुनर्भरण किया जाएगा।

(नसीरुद्दीन कुरैशी)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

क्रमांक प.9(6)शिक्षा–5/यूनिटकास्ट/2015
दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्थान निजी शिक्षण संस्थाऐ फीस निर्धारण समिति, शिक्षा संकुल जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, स्कूल शिक्षा राजस्थान शिक्षा संकुल, जयपुर।
7. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक NIC केन्द्र, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक प. 9(6) शिक्षा-5/यूनिट कॉस्ट/2015

जयपुर दिनांकः 23/11/15

निदेशक,
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषयः- आरटीई अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत सत्र 2015-16 में गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालको की फीस के पुनर्भरण के संबंध में।

सन्दर्भः- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 18.11.15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.11.15 के बिन्दु संख्या 6 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

6. सत्र 2015-16 में गैर सरकारी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि 150/- रूपये प्रति बालक प्रति वर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रथम किश्त के साथ पुनर्भरण किया जाएगा।

अतः उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

23/XI/15

(नसीरुद्दीन कुरैशी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

क्रमांक प. 9(6) शिक्षा-5/यूनिट कॉस्ट/2015

जयपुर दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्थान निजी शिक्षण संस्थाऐ फीस निर्धारण समिति, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान शिक्षा संकुल, जयपुर।
7. प्रमुख प्रणाली विशलेषक NIC केन्द्र, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक:प.9(6)शिक्षा-5/यूनिटकास्ट/2015 दिनांक 01/11/16

निदेशक
प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

विषयः– आरटीई अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत सत्र 2016–17 में गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की फीस के पुनर्भरण के संबंध में।
सन्दर्भः– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 18.11.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु शैक्षिक सत्र 2016–17 में नवप्रवेशित एवं सत्र 2012–13, 2013–14, 2014–15 व 2015–16 में प्रवेशित तथा क्रमोन्नति के बाद शैक्षिक सत्र 2016–17 में अध्ययनरत बालकों की फीस का पुनर्भरण गैर सरकारी विद्यालयों को किया जाता है, बालकों के भौतिक सत्यापन के पश्चात गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा सत्यापन, प्रतिवेदन प्राईवेट स्कूल वेब पोर्टल (rte.raj.nic.in) पर प्रविष्ट किया जाता है तथा विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के सही पाये जाने के उपरान्त विद्यालय द्वारा क्लेम बिल जनरेट कर उसकी हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी संबंधित पीईईओ/डीईओ(मा) कार्यालय में पंजीकृत (एडी) डाक से प्रेषित किये जाने के बाद पुनर्भरण किया जाता है। गैर सरकारी विद्यालयों की फीस के पुनर्भरण के संबंध में पूर्व में पत्र क्रमांक प.9(6)शिक्षा-5/यूनिटकॉस्ट/2015 दिनांक 18.11.2015 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अतिक्रमण में निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. शैक्षिक सत्र 2016–17 में आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) के तहत निःशुल्क सीटों पर अध्ययनरत बालक–बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण शैक्षिक सत्र 2015–16 में तदाधार पुनर्भरण की गई फीस अथवा 2015–16 में विद्यालय फीस अथवा 2016–17 की सत्यापित फीस अथवा 2016–17 की यूनिट कॉस्ट की राशि में से जो भी कम हो के आधार पर किया जाएगा। विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय की फीस निर्धारित होने पर पुनर्भरण की गई राशि का समायोजन किया जाएगा।
2. जिन गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2016–17 में पहली बार निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हुआ है लेकिन वे विद्यालय शैक्षिक सत्र 2015–16 अथवा उससे पूर्व के वर्षों से संचालित हैं, ऐसे विद्यालयों की फीस का अन्तरिम पुनर्भरण भी शैक्षिक सत्र 2015–16 में विद्यालय की सत्यापित फीस अथवा शैक्षिक सत्र 2016–17 में सत्यापित फीस अथवा शैक्षिक सत्र 2016–17 की यूनिट कॉस्ट राशि में से जो भी कम है के आधार पर किया जाएगा तथा पुनर्भरण की गई राशि का समायोजन विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति द्वारा फीस निर्धारित होने पर किया जाएगा।
3. ऐसे गैर सरकारी विद्यालय जो शैक्षिक सत्र 2016–17 में ही प्रारम्भ हुए हैं उन विद्यालयों की फीस का अन्तरिम पुनर्भरण शैक्षिक सत्र 2016–17 की सत्यापित फीस अथवा शैक्षिक सत्र 2016–17 की यूनिट कॉस्ट राशि में से जो भी कम है के आधार पर किया जाएगा तथा पुनर्भरण की गई राशि का समायोजन विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति द्वारा फीस निर्धारित होने पर किया जाएगा।

4. ऐसे विद्यालय जो किसी एक माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) में शैक्षिक सत्र 2015-16 या इससे पूर्व के वर्षों से संचालित हैं तथा अतिरिक्त माध्यम की मान्यता शैक्षिक सत्र 2016-17 में ली है। इन विद्यालयों के प्रथम माध्यम में अध्ययनरत बालकों की फीस का अन्तरिम पुनर्भरण शैक्षिक सत्र 2015-16 में विद्यालय की सत्यापित फीस अथवा 2016-17 में सत्यापित फीस अथवा शैक्षिक सत्र 2016-17 की यूनिट कॉस्ट में से जो भी कम है, के आधार पर किया जाएगा तथा पुनर्भरण की गई राशि का समायोजन विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय की फीस निर्धारित होने पर किया जाएगा।

5. किसी भी दशा में फीस का पुनर्भरण शैक्षिक सत्र 2016-17 की यूनिट कॉस्ट की राशि 14,919/- रु (अक्षरे चौदह हजार नौ सौ उन्नीस रुपये मात्र) प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. शैक्षिक सत्र 2016-17 में गैर सरकारी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि 150/-रु प्रतिबालक प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रथम किश्त के साथ पुनर्भरण किया जाएगा।

7. ऐसे गैर सरकारी विद्यालय जिन्होंने निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई है, उन्हें विद्यालय में आर टी ई एक्ट के तहत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध कराने के साथ ही द्वितीय किश्त का पुनर्भरण किया जाएगा।

शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रार/RTE/C/पुनर्भरण/18882/16-17/प्रथम किश्त/7 दिनांक- 17-11-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, रा.प्रा.शि.प., शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
5. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा .... (समस्त)
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा .... (समस्त) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उक्त निर्देश प्रसारित करें।
7. श्री विनोद जैन, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, NIC खंड 6, प्रथम तल, शिक्षा संकुल जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि शैक्षिक सत्र 2016-17 की प्रथम किश्त के पुनर्भरण राशि के भुगतान के संबंध में राज्य सरकार के सन्दर्भयुक्त पत्र दिनांक 04.11.16 में जारी निर्देशों के अनुसार संशोधित बजट बिल, आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन बजट जनरेट करने एवं ऑनलाईन पास ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया को आरटीई पोर्टल पर प्रारंभ करने का श्रम करावें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

परिशिष्ट संख्या- 4

आदिनांक तक पुनर्भरण डाटा स्थिति सत्र : 2012-13 दिनांक : 22-03-2017 तक

किस्त : प्रथम किस्त

क्रमांक	ज़िला	पुनर्भरण किये गए स्कूलों की संख्या		बालकों की संख्या	पुनर्भरण राशि
		Ele	Sec		
1	AJMER	644	452	7986	13560217
2	ALWAR	60	12	374	740889
3	BANSWARA	179	162	2947	5881808
4	BARAN	251	185	2709	3252798
5	BARMER	445	81	3381	6085755
6	BHARATPUR	1	2	29	118998
7	BHILWARA	889	99	7832	11078399
8	BIKANER	0	0	0	0
9	BUNDI	272	166	2398	2647369
10	CHITTAURGARH	611	16	2711	3796876
11	CHURU	0	0	0	0
12	DAUSA	118	83	1679	2647322
13	DHAULPUR	0	0	0	0
14	DUNGARPUR	485	0	3228	6433180
15	GANGANAGAR	870	224	7424	24398191
16	HANUMANGARH	438	387	5697	15959737
17	JAIPUR	1311	1214	18406	41359176
18	JAISALMER	168	24	1274	1779785
19	JALOR	45	21	388	469980
20	JHALAWAR	451	133	4287	6597242
21	JHUNJHUNUN	108	82	1051	2290985
22	JODHPUR	361	131	4212	8438301
23	KARAULI	316	183	3728	3772788
24	KOTA	487	718	7764	13102358
25	NAGAUR	311	834	12377	17099858
26	PALI	631	112	4419	6940872
27	PRATAPGARH	217	38	1268	1503530
28	RAJSAMAND	347	135	3271	7107268
29	S. MADHOPUR	361	218	3679	3932697
30	SIKAR	76	184	1842	3047596
31	SIROHI	273	33	2204	2423375
32	TONK	331	221	3949	5321321
33	UDAIPUR	639	172	4778	9456886
	कुल	11494	6297	127172	230146880

आदिनांक तक पुनर्भरण डाटा स्थिति सत्र : 2012-13 दिनांक : 22-03-2017 तक

किस्त: द्वितीय किस्त

क्र.सं.	जिला	पुनर्भरण किये गए स्कूलों की संख्या		बालकों की संख्या	पुनर्भरण राशि
		Ele	Sec		
1	AJMER	556	452	7186	11386112
2	ALWAR	53	12	358	788689
3	BANSWARA	179	77	1680	3128591
4	BARAN	251	185	2709	3252798
5	BARMER	445	81	3351	4303775
6	BHARATPUR	1	2	29	118996
7	BHILWARA	761	83	5837	8721961
8	BIKANER	0	0	0	0
9	BUNDI	247	166	2298	2117646
10	CHITTAURGARH	564	80	3457	5052774
11	CHURU	0	0	0	0
12	DAUSA	113	83	1665	2636447
13	DHAULPUR	0	0	0	0
14	DUNGARPUR	458	36	3157	6305843
15	GANGANAGAR	497	27	2902	5652742
16	HANUMANGARH	382	361	5102	14629633
17	JAIPUR	1470	1251	20039	43130864
18	JAISALMER	162	24	1244	1716175
19	JALOR	45	21	388	469980
20	JHALAWAR	355	133	3600	4630364
21	JHUNJHUNUN	108	82	1048	2282421
22	JODHPUR	360	131	4181	8225033
23	KARAULI	316	366	5124	5342845
24	KOTA	489	718	7765	13091340
25	NAGAUR	357	283	5754	7289678
26	PALI	630	112	4416	6911691
27	PRATAPGARH	236	38	1362	1774340
28	RAJSAMAND	356	62	2503	4819418
29	S. MADHOPUR	415	218	4013	4204844
30	SIKAR	76	178	1792	2940746
31	SIROHI	357	33	2816	3041115
32	TONK	379	221	4226	6595126
33	UDAIPUR	572	171	5107	14642814
	[illegible]	11190	5677	115099	198204600

बिन्दु संख्या-4

आर टी ई के तहत लाभान्वित विद्यालय ,बालक एवं पुनर्भरण की गई राशि का विवरण

सत्र : 2013-14, किश्त : प्रथम , विद्यालय का प्रकार : प्राथमिक , दिनांक : 22-03-2017 तक

क्र.स.	जिला	कुल रजिस्टर्ड स्कूल	स्कूलों की संख्या जिन्होंने निशुल्क शिक्षा हेतु बालको का प्रवेश किया	वर्तमान सत्र में नव प्रवेशित बालको की संख्या	वर्तमान सत्र में कुल पूर्व क्रमोन्नत बालक	सत्यापित बालको की संख्या	पुनर्भरण राशि प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या	बालको की संख्या जिनके संबंध में पुनर्भरण किया गया	पुनर्भरण की गई राशि
1	AJMER	883	624	3748	1803	5551	622	5538	7867746
2	ALWAR	1105	375	1491	143	1634	318	1626	2924584
3	BANSWARA	452	223	1459	591	2050	218	2018	3373066
4	BARAN	328	249	1452	1068	2520	246	2510	3119782
5	BARMER	468	361	2204	1832	4036	353	4033	5095101
6	BHARATPUR	768	394	1643	9	1652	390	1651	2350737
7	BHILWARA	1005	801	4957	3994	8951	789	8890	13168691
8	BIKANER	811	448	2282	0	2282	372	2248	3192136
9	BUNDI	377	307	1740	1121	2861	300	2807	2734981
10	CHITTAURGARH	579	465	2676	2019	4695	459	4680	7032141
11	CHURU	594	361	2134	0	2134	358	2121	3085406
12	DAUSA	498	311	1607	563	2170	355	2170	2911170
13	DHAULPUR	382	212	1261	0	1261	196	1247	2302859
14	DUNGARPUR	394	327	2212	1623	3835	325	3827	6348426
15	GANGANAGAR	708	529	2958	2168	5126	527	5052	11233885
16	HANUMANGARH	448	393	2707	1883	4590	390	4560	11404610
17	JAIPUR	2209	1501	10235	5970	16205	1458	16125	35638244
18	JAISALMER	248	179	1080	877	1957	176	1953	2429453
19	JALOR	640	494	2422	194	2616	523	2616	3494009
20	JHALAWAR	339	320	2427	1888	4315	318	4300	4987965
21	JHUNJHUNUN	446	238	1156	360	1516	228	1516	3808834
22	JODHPUR	1231	783	6080	2512	8592	753	8582	15296029
23	KARAULI	447	323	2487	1806	4293	321	4268	4287420
24	KOTA	575	454	2478	1689	4167	462	4165	6455532
25	NAGAUR	864	579	3864	1478	5342	578	5311	6535581
26	PALI	824	712	3812	2871	6683	698	6613	8085826
27	PRATAPGARH	219	158	818	530	1348	156	1345	1563045
28	RAJSAMAND	388	309	1666	1188	2854	304	2831	4505820
29	S.MADHOPUR	427	338	1993	1585	3578	341	3578	3139906
30	SIKAR	563	215	1042	165	1207	208	1198	2713451
31	SIROHI	315	278	1728	1654	3382	278	3382	3420643
32	TONK	501	384	2113	1556	3669	385	3656	4710467
33	UDAIPUR	717	535	3236	2369	5605	526	5583	8291516
	कुल	20753	14180	85168	47509	132677	13931	132000	207509062

कि.दु.संख्या-4

आर टी ई के तहत लाभान्वित विद्यालय ,बालक एवं पुनर्भरण की गई राशि का विवरण

सत्र : 2013-14, किश्त : द्वितीय , विद्यालय का प्रकार : प्राथमिक , दिनांक : 22-03-2017 तक

क्र.सं.	जिला	कुल रजिस्टर्ड स्कूल	स्कूलों की संख्या जिन्होंने निशुल्क शिक्षा हेतु बालको का प्रवेश किया	वर्तमान सत्र में नव प्रवेशित बालको की संख्या	वर्तमान सत्र में कुल पूर्व क्रमोन्नत बालक	सत्यापित बालको की संख्या	पुनर्भरण राशि प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या	बालको की संख्या जिनके संबंध में पुनर्भरण किया गया	पुनर्भरण की गई राशि
1	AJMER	883	624	3748	1803	5551	605	5415	7035512
2	ALWAR	1105	375	1491	143	1634	314	1611	2863407
3	BANSWARA	452	223	1459	591	2050	209	1956	3283151
4	BARAN	328	249	1452	1068	2520	246	2505	2926202
5	BARMER	468	361	2204	1832	4036	348	3986	5085755
6	BHARATPUR	768	394	1643	9	1652	387	1631	2338817
7	BHILWARA	1005	801	4957	3994	8951	768	8676	13242759
8	BIKANER	811	448	2282	0	2282	353	2201	3285176
9	BUNDI	377	307	1740	1121	2861	281	2657	2631931
10	CHITTAURGARH	579	465	2676	2019	4695	452	4623	6827205
11	CHURU	594	361	2134	0	2134	351	2119	3071962
12	DAUSA	498	311	1607	563	2170	308	2151	3079820
13	DHAULPUR	382	212	1261	0	1261	188	1202	2260359
14	DUNGARPUR	394	327	2212	1623	3835	248	2942	4751789
15	GANGANAGAR	708	529	2958	2168	5126	498	4859	11788764
16	HANUMANGARH	448	393	2707	1883	4590	379	4481	11611498
17	JAIPUR	2209	1501	10235	5970	16205	1418	15842	37091503
18	JAISALMER	248	179	1080	877	1957	168	1881	2483393
19	JALOR	640	494	2422	194	2616	493	2592	3434578
20	JHALAWAR	339	320	2427	1888	4315	315	4287	5355983
21	JHUNJHUNUN	446	238	1156	360	1516	228	1513	3818884
22	JODHPUR	1231	783	6080	2512	8592	749	8532	15370722
23	KARAULI	447	323	2487	1806	4293	314	4214	4317070
24	KOTA	575	454	2478	1689	4167	429	3990	6342376
25	NAGAUR	864	579	3864	1478	5342	554	5140	6474547
26	PALI	824	712	3812	2871	6683	672	6375	7908833
27	PRATAPGARH	219	158	818	530	1348	151	1326	1636978
28	RAJSAMAND	388	309	1666	1188	2854	298	2800	4688057
29	S.MADHOPUR	427	338	1993	1585	3578	337	3571	3385084
30	SIKAR	563	215	1042	165	1207	196	1168	2690001
31	SIROHI	315	278	1728	1654	3382	278	3372	3508185
32	TONK	501	384	2113	1556	3669	378	3647	5026546
33	UDAIPUR	717	535	3236	2369	5605	507	5436	9305932
	कुल	20753	14180	85168	47509	132677	13420	128701	208922779

प्रमाणित

परिशिष्ट संख्या-4

आर टी ई के तहत लाभान्वित विद्यालय ,बालक एवं पुनर्भरण की गई राशि का विवरण

सत्र : 2014-15, किश्त : प्रथम , विद्यालय का प्रकार : प्राथमिक , दिनांक : 22-03-2017 तक

क्र.स.	जिला	कुल रजिस्टर्ड स्कूल	स्कूलों की संख्या जिन्होंने निशुल्क शिक्षा हेतु बालको का प्रवेश किया	वर्तमान सत्र में नव प्रवेशित बालको की संख्या	वर्तमान सत्र में कुल पूर्व क्रमोन्नत बालक	सत्यापित बालको की संख्या	पुनर्भरण राशि प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या	बालको की संख्या जिनके संबंध में पुनर्भरण किया गया	पुनर्भरण की गई राशि
1	AJMER	883	680	4059	4845	8904	670	8841	15920862
2	ALWAR	1105	486	2299	1359	3658	456	3648	8209671
3	BANSWARA	452	260	1709	1822	3531	252	3520	8434250
4	BARAN	328	258	1506	2199	3705	256	3705	6256930
5	BARMER	468	368	2279	3752	6031	362	6010	10470244
6	BHARATPUR	768	583	2951	1430	4381	570	4369	6926670
7	BHILWARA	1005	787	4847	7368	12215	768	12174	23559865
8	BIKANER	811	539	3320	2057	5377	501	5366	10191655
9	BUNDI	377	318	1681	2449	4130	317	4130	5638694
10	CHITTAURGARH	579	473	2858	4258	7116	469	7110	14587023
11	CHURU	594	432	2468	1970	4438	420	4417	8058491
12	DAUSA	498	393	2901	1969	4870	391	4870	8893677
13	DHAULPUR	382	285	2828	1064	3892	282	3880	7989825
14	DUNGARPUR	394	324	2189	3521	5710	321	5700	13462035
15	GANGANAGAR	708	552	2628	4371	6999	513	6607	20423855
16	HANUMANGARH	448	401	2563	4214	6777	397	6771	21579430
17	JAIPUR	2209	1633	12075	14619	26694	1612	26610	81358273
18	JAISALMER	248	171	1159	1775	2934	170	2934	5316912
19	JALOR	640	557	2936	2418	5354	556	5354	8495583
20	JHALAWAR	339	313	2651	4033	6684	311	6673	11373754
21	JHUNJHUNUN	446	311	1962	1388	3350	311	3350	10177245
22	JODHPUR	1231	892	7210	7851	15061	870	15036	35560694
23	KARAULI	447	346	3157	3872	7029	342	7006	9467454
24	KOTA	575	493	3182	3880	7062	491	7061	14894964
25	NAGAUR	864	640	4174	4569	8743	632	8741	15508656
26	PALI	824	692	3856	5831	9687	688	9679	16415545
27	PRATAPGARH	219	157	755	1152	1907	154	1881	2835804
28	RAJSAMAND	388	310	1732	2490	4222	308	4221	9609670
29	S.MADHOPUR	427	337	2207	3201	5408	334	5390	7228036
30	SIKAR	563	297	1767	998	2765	292	2761	7818538
31	SIROHI	315	282	1782	3110	4892	282	4892	7280030
32	TONK	501	426	2549	3367	5916	424	5902	10467130
33	UDAIPUR	717	530	2909	4567	7476	524	7469	16631443
	कुल	20753	15526	99149	117769	216918	15246	216078	461042908

उप नि.

प्रमाणित

आर टी ई के तहत लाभान्वित विद्यालय ,बालक एवं पुनर्भरण की गई राशि का विवरण

सत्र : 2014-15, किश्त : द्वितीय , विद्यालय का प्रकार : प्राथमिक , दिनांक : 22-03-2017 तक

क्र.स.	जिला	कुल रजिस्टर्ड स्कूल	स्कूलों की संख्या जिन्होंने निशुल्क शिक्षा हेतु बालको का प्रवेश किया	वर्तमान सत्र में नव प्रवेशित बालको की संख्या	वर्तमान सत्र में कुल पूर्व क्रमोन्नत बालक	सत्यापित बालको की संख्या	पुनर्भरण राशि प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या	बालको की संख्या जिनके संबंध में पुनर्भरण किया गया	पुनर्भरण की गई राशि
1	AJMER	883	680	4059	4845	8904	663	8766	14703705
2	ALWAR	1105	486	2299	1359	3658	449	3631	7767005
3	BANSWARA	452	260	1709	1822	3531	251	3518	7981930
4	BARAN	328	258	1506	2199	3705	254	3677	5924106
5	BARMER	468	368	2279	3752	6031	357	5942	9397210
6	BHARATPUR	768	583	2951	1430	4381	562	4350	6534241
7	BHILWARA	1005	787	4847	7368	12215	739	11922	22010115
8	BIKANER	811	539	3320	2057	5377	470	5240	9267478
9	BUNDI	377	318	1681	2449	4130	310	4071	5086352
10	CHITTAURGARH	579	473	2858	4258	7116	462	7067	13427019
11	CHURU	594	432	2468	1970	4438	409	4377	7290639
12	DAUSA	498	393	2901	1969	4870	391	4870	8217536
13	DHAULPUR	382	285	2828	1064	3892	271	3825	7480230
14	DUNGARPUR	394	324	2189	3521	5710	316	5642	12316488
15	GANGANAGAR	708	552	2628	4371	6999	388	4988	16134156
16	HANUMANGARH	448	401	2563	4214	6777	394	6754	20907837
17	JAIPUR	2209	1633	12075	14619	26694	1558	26240	77217669
18	JAISALMER	248	171	1159	1775	2934	167	2930	4982269
19	JALOR	640	557	2936	2418	5354	535	5215	7723021
20	JHALAWAR	339	313	2651	4033	6684	310	6660	10633758
21	JHUNJHUNUN	446	311	1962	1388	3350	309	3347	9810070
22	JODHPUR	1231	892	7210	7851	15061	855	14868	32940788
23	KARAULI	447	346	3157	3872	7029	336	6967	8653472
24	KOTA	575	493	3182	3880	7062	481	7030	14201325
25	NAGAUR	864	640	4174	4569	8743	617	8576	14325641
26	PALI	824	692	3856	5831	9687	683	9640	13966255
27	PRATAPGARH	219	157	755	1152	1907	149	1864	2714713
28	RAJSAMAND	388	310	1732	2490	4222	301	4159	8972206
29	S.MADHOPUR	427	337	2207	3201	5408	329	5329	6637248
30	SIKAR	563	297	1767	998	2765	292	2761	7616930
31	SIROHI	315	282	1782	3110	4892	280	4847	6574666
32	TONK	501	426	2549	3367	5916	422	5885	9881369
33	UDAIPUR	717	530	2909	4567	7476	512	7370	15849998
	कुल	20753	15526	99149	117769	216918	14822	212328	427147445

परि.-4

आर टी ई के तहत लाभान्वित विद्यालय ,बालक एवं पुनर्भरण की गई राशि का विवरण

सत्र : 2015-16, किश्त : प्रथम , विद्यालय का प्रकार : प्राथमिक , दिनांक : 22-03-2017 तक

क्रं.स.	जिला	कुल रजिस्टर्ड स्कूल	स्कूलों की संख्या जिन्होंने निशुल्क शिक्षा हेतु बालको का प्रवेश किया	वर्तमान सत्र में नव प्रवेशित बालको की संख्या	वर्तमान सत्र में कुल पूर्व क्रमोन्नत बालक	सत्यापित बालको की संख्या	पुनर्भरण राशि प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या	बालको की संख्या जिनके संबंध में पुनर्भरण किया गया	पुनर्भरण की गई राशि
1	AJMER	801	736	3773	8065	11838	688	10936	21504392
2	ALWAR	929	588	2507	3286	5793	478	5274	13061198
3	BANSWARA	329	299	1675	3179	4854	277	4624	12303781
4	BARAN	298	265	1266	3297	4563	253	4310	8325641
5	BARMER	428	377	2288	5510	7798	351	7243	13548240
6	BHARATPUR	743	627	3490	4098	7588	586	7227	11859848
7	BHILWARA	924	818	4269	10666	14935	745	13381	29007966
8	BIKANER	708	565	3487	4982	8469	514	7692	15863737
9	BUNDI	349	312	1191	3588	4779	307	4756	7326268
10	CHITTAURGARH	519	481	2207	6400	8607	475	8560	19452405
11	CHURU	526	454	2513	4069	6582	410	6039	11375982
12	DAUSA	473	409	2706	4390	7096	397	6941	13818232
13	DHAULPUR	363	322	3652	3608	7260	274	5726	11770435
14	DUNGARPUR	360	336	1573	5125	6698	315	6290	16053325
15	GANGANAGAR	672	574	2601	6233	8834	515	8171	25820713
16	HANUMANGARH	434	399	2351	6175	8526	374	7792	25264211
17	JAIPUR	1962	1741	11432	23772	35204	1622	33642	112865808
18	JAISALMER	209	179	1010	2578	3588	169	3310	6776069
19	JALOR	611	565	2730	5026	7756	547	7632	13349749
20	JHALAWAR	325	304	2218	6234	8452	259	6904	12997968
21	JHUNJHUNUN	386	316	1741	3060	4801	288	4564	14691110
22	JODHPUR	1086	960	6914	13970	20884	861	17804	44382625
23	KARAULI	414	373	3298	6259	9557	341	8758	13110447
24	KOTA	541	496	3010	6466	9476	484	9310	22185702
25	NAGAUR	771	671	3909	7790	11699	615	10542	21055724
26	PALI	765	699	2754	8724	11478	677	11006	19663976
27	PRATAPGARH	183	166	574	1647	2221	159	2208	3837320
28	RAJSAMAND	352	324	1465	3852	5317	306	4869	12373860
29	S.MADHOPUR	401	366	1847	4803	6650	339	6180	9551323
30	SIKAR	426	318	1476	2438	3914	301	3666	11106300
31	SIROHI	302	293	1381	4505	5886	284	5648	9163692
32	TONK	483	434	2068	5140	7208	419	7050	13469931
33	UDAIPUR	640	560	2075	6471	8546	526	8122	20808646
	कुल	18713	16327	91451	195406	286857	15156	266177	617746624

सू.6.अ.

प्रमाणित

आर टी ई के तहत लाभान्वित विद्यालय ,बालक एवं पुनर्भरण की गई राशि का विवरण

सत्र : 2015-16, किश्त : द्वितीय , विद्यालय का प्रकार : प्राथमिक , दिनांक : 22-03-2017 तक

क्र.सं.	जिला	कुल रजिस्टर्ड स्कूल	स्कूलों की संख्या जिन्होंने निशुल्क शिक्षा हेतु बालको का प्रवेश किया	वर्तमान सत्र में नव प्रवेशित बालको की संख्या	वर्तमान सत्र में कुल पूर्व क्रमोन्नत बालक	सत्यापित बालको की संख्या	पुनर्भरण राशि प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या	बालको की संख्या जिनके संबंध में पुनर्भरण किया गया	पुनर्भरण की गई राशि
1	AJMER	801	736	3773	8065	11838	668	10602	19433280
2	ALWAR	929	588	2507	3286	5793	428	4850	10854144
3	BANSWARA	329	299	1675	3179	4854	257	4417	11025925
4	BARAN	298	265	1266	3297	4563	213	3648	6510762
5	BARMER	428	377	2288	5510	7798	342	7096	12118480
6	BHARATPUR	743	627	3490	4098	7588	554	6919	10266667
7	BHILWARA	924	818	4269	10666	14935	703	12749	25738580
8	BIKANER	708	565	3487	4982	8469	461	7291	13712012
9	BUNDI	349	312	1191	3588	4779	280	4486	6127383
10	CHITTAURGARH	519	481	2207	6400	8607	468	8481	17964758
11	CHURU	526	454	2513	4069	6582	381	5703	10034273
12	DAUSA	473	409	2706	4390	7096	383	6745	12103324
13	DHAULPUR	363	322	3652	3608	7260	242	4839	9180388
14	DUNGARPUR	360	336	1573	5125	6698	292	5994	14624366
15	GANGANAGAR	672	574	2601	6233	8834	495	8039	24287194
16	HANUMANGARH	434	399	2351	6175	8526	361	7645	23445939
17	JAIPUR	1962	1741	11432	23772	35204	1501	31840	102474819
18	JAISALMER	209	179	1010	2578	3588	168	3288	6219669
19	JALOR	611	565	2730	5026	7756	531	7546	12086896
20	JHALAWAR	325	304	2218	6234	8452	258	6883	11909548
21	JHUNJHUNUN	386	316	1741	3060	4801	276	4445	13509515
22	JODHPUR	1086	960	6914	13970	20884	824	17286	40618206
23	KARAULI	414	373	3298	6259	9557	332	8633	11622847
24	KOTA	541	496	3010	6466	9476	481	9304	20751786
25	NAGAUR	771	671	3909	7790	11699	594	10339	19180654
26	PALI	765	699	2754	8724	11478	661	10898	17801920
27	PRATAPGARH	183	166	574	1647	2221	149	2085	3310881
28	RAJSAMAND	352	324	1465	3852	5317	293	4681	11222222
29	S.MADHOPUR	401	366	1847	4803	6650	338	6173	8725734
30	SIKAR	426	318	1476	2438	3914	296	3596	10401350
31	SIROHI	302	293	1381	4505	5886	280	5569	8187192
32	TONK	483	434	2068	5140	7208	410	6860	12103218
33	UDAIPUR	640	560	2075	6471	8546	518	8093	19609357
	कुल	18713	16327	91451	195406	286857	14438	257023	557163289

आर टी ई के तहत लाभान्वित विद्यालय ,बालक एवं पुनर्भरण की गई राशि का विवरण

सत्र : 2016-17, किश्त : प्रथम , विद्यालय का प्रकार : प्राथमिक , दिनांक : 22-03-2017 तक

क्र.स.	जिला	कुल रजिस्टर्ड स्कूल	स्कूलों की संख्या जिन्होंने निशुल्क शिक्षा हेतु बालको का प्रवेश किया	वर्तमान सत्र में नव प्रवेशित बालको की संख्या	वर्तमान सत्र में कुल पूर्व क्रमोन्नत बालक	सत्यापित बालको की संख्या	पुनर्भरण राशि प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या	बालको की संख्या जिनके संबंध में पुनर्भरण किया गया	पुनर्भरण की गई राशि
1	AJMER	883	726	1735	10169	11904	410	7310	14366024
2	ALWAR	1101	514	1293	4595	5888	133	1354	3552570
3	BANSWARA	452	363	1899	4249	6148	217	4030	10769525
4	BARAN	327	263	703	4025	4728	134	2413	5086812
5	BARMER	463	369	1023	6865	7888	150	3080	5788098
6	BHARATPUR	765	584	1481	6620	8101	229	3150	4921627
7	BHILWARA	1003	778	1378	12194	13572	417	7162	17394437
8	BIKANER	806	526	1830	6972	8802	289	5073	11062669
9	BUNDI	375	307	856	4090	4946	205	3483	5694104
10	CHITTAURGARH	579	493	988	7564	8552	255	4624	11663706
11	CHURU	592	392	1049	4276	5325	187	2958	6051737
12	DAUSA	495	377	1109	5986	7095	207	4124	8538396
13	DHAULPUR	381	297	1647	6244	7891	62	1470	2998665
14	DUNGARPUR	391	328	905	5687	6592	172	3470	9410512
15	GANGANAGAR	708	565	1582	7834	9416	450	7784	24025999
16	HANUMANGARH	446	387	1305	7842	9147	287	6313	18990683
17	JAIPUR	2196	1714	6014	30606	36620	698	16446	53867762
18	JAISALMER	247	186	532	3189	3721	163	3275	6732151
19	JALOR	637	552	1677	7209	8886	83	1455	2810930
20	JHALAWAR	338	300	1279	7615	8894	119	3607	6163335
21	JHUNJHUNUN	444	301	601	4249	4850	202	3586	12373848
22	JODHPUR	1223	924	3324	18004	21328	624	14430	36711884
23	KARAULI	447	342	1393	8191	9584	241	6296	9886859
24	KOTA	575	504	1712	8549	10261	256	5658	17121094
25	NAGAUR	860	666	2157	10378	12535	316	5829	11895664
26	PALI	820	677	1002	10086	11088	534	8687	15800851
27	PRATAPGARH	219	178	365	1860	2225	73	1192	2306518
28	RAJSAMAND	386	333	1104	4738	5842	208	3466	8475977
29	S.MADHOPUR	425	345	897	5592	6489	197	3899	6220046
30	SIKAR	560	292	525	3248	3773	174	2110	6454437
31	SIROHI	315	286	805	5332	6137	245	5212	8457180
32	TONK	498	418	604	6303	6907	65	1046	1806036
33	UDAIPUR	713	542	1114	7218	8332	401	6409	18048854
	कुल	20670	15829	45888	247579	293467	8403	160401	385448990

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.9(1) शिक्षा-5/[illegible] जयपुर, दिनांक 19-07-2013

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय:- आर.टी.ई. प्रावधानानुसार निजी विद्यालयों में प्रवेशित "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय (Unit Cost) सत्र 2013-14 के निर्धारण बाबत।

सन्दर्भ:- शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./सी/यूनिट कॉस्ट/18882/13-14/लूज 0/ दिनांक 20.6.13

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानान्तर्गत राज्य के निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण प्रति बालक व्यय रुपये 11704/- (अक्षरे ग्यारह हजार सात सौ चार रु. मात्र) प्रतिवर्ष किये जाने की निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

01. यह यूनिट कोस्ट सत्र 2013-14 में प्रवेश लेने वाले बालकों पर लागू होगी।
02. प्रविष्ठ किये गये बालकों का सत्यापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने अपने नियंत्रणाधीन विद्यालयों में कराया जायेगा।
03. सत्यापन कार्य में प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं बालकों की नियमित उपस्थिति का उचित सत्यापन पश्चात ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
04. इस यूनिट कोस्ट मे निजी विद्यालयों द्वारा बालकों से वसूल किये जा सके समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित माने जायेंगे।
05. इस यूनिट कोस्ट में छात्रों के लिए निर्धारित विद्यालय गणवेश पर होने वाला व्यय सम्मिलित नहीं है।
06. निजी विद्यालय इस अधिनियम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों एवं अन्य सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों के मध्य विद्यालय की सुविधाओं के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगें।
07. यदि विद्यालय को राज्य सरकार/राजस्थान आवासन मण्डल/विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायतों आदि से भू-आवंटन की शर्तों में निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की किसी शर्त का उल्लेख है तो उस सीमा तक पुनर्भरण देय नहीं होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग से उनकी आई.डी. संख्या [illegible] दिनांक [illegible] 2013 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

(वीनू गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

कार्यालय, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./सी/यूनिट कॉस्ट/18882/13-14/33 दिनांक:-26/7/13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. वित्तीय सलाहकार, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
8. उप निदेशक प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा.......................।
9. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा..................................।

अतिरिक्त निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

FRX RTE (127)

क्रमांकः प.9(1) शिक्षा–5/2010पार्ट

जयपुर, दिनांकः 25-6-2014

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :– आर.टी.ई. प्रावधानानुसार निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय (Unit Cost) सत्र 2014–15 के निर्धारण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानान्तर्गत राज्य के निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण प्रति बालक व्यय रूपये 14034/– (अक्षरे चौदह हजार चोंतीस रू. मात्र) प्रतिवर्ष तथा विद्यालयों को प्रति बालक प्रतिवर्ष दी जाने वाली निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की कीमत 107/–रू0 किये जाने की निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

01. यह यूनिट कोस्ट सत्र 2014–15 में प्रवेश लेने वाले बालकों पर लागू होगी।
02. प्रविष्ट किये गये बालकों का सत्यापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने–अपने नियंत्राधीन विद्यालयों में कराया जायेगा।
03. सत्यापन कार्य में प्रवेश प्रकिया की पारदर्शिता एवं बालकों की नियमित उपस्थिति का उचित सत्यापन पश्चात् ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
04. इस यूनिट कोस्ट में निजी विद्यालयों द्वारा बालकों से वसूल किये जा रहे समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित माने जायेंगे।
05. इस यूनिट कोस्ट में छात्रों के लिए निर्धारित विद्यालय गणवेश पर होने वाला व्यय सम्मिलित नहीं है।
06. निजी विद्यालय इस अधिनियम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों एवं अन्य सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों के मध्य विद्यालय की सुविधाओं के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगें।
07. यदि विद्यालय को राज्य सरकार/राजस्थान आवासन मण्डल/विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायतों आदि से भू–आवंटन की शर्तों में निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की किसी शर्त का उल्लेख है तो उस शर्त की सीमा तक पुनर्भरण देय नहीं होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग से उनकी आई.डी. संख्या 101402403 दिनांक 24.06.2014 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/युनिट कॉस्ट/18882/13–14 दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया आपके अधिनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उक्त आदेश प्रसारित करने का कष्ट करावें।
4. वित्तीय सलाहकार, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. उपनिदेशक, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा..............................
6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा.......................... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को उक्त आदेश प्रसारित करें।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक: प.9(6) शिक्षा–5 / यूनिट कॉस्ट / 2015 जयपुर, दिनांक 15-9-15

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषयः– आर.टी.ई. प्रावधानानुसार निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय (Unit Cost) के निर्धारित बाबत।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक शिविरा / प्रार / आरटीई / सी / बजट प्रावधान / 15–16 / 58 दिनांक 03.09.15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानानुसार राज्य के निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण प्रति बालक व्यय रूपये 17582/– (अक्षरे सत्रह हजार पाँच सौ बियासी रूपये मात्र) प्रतिवर्ष तथा विद्यालयों को प्रति बालक प्रतिवर्ष दी जाने वाली निः शुल्क पाठ्य पुस्तकों की कीमत 150/– रू.दिये जाने की निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

01. यह यूनिट कॉस्ट सत्र 2015–16 में प्रवेश लेने वाले बालकों पर लागू होगी।
02. प्रविष्ठ किये गये बालकों का सत्यापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने अपने नियंत्राधीन विद्यालयों में कराया जायेगा।
03. सत्यापन कार्य में प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं बालकों की नियमित उपस्थिति का ध्यान रखा जायेगा।
04. इस यूनिट कॉस्ट में निजी विद्यालयों द्वारा बालकों से वसूल किये जा रहे समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित माने जायेंगे।
05. इस यूनिट कॉस्ट में छात्रों के लिए निर्धारित विद्यालय गणवेश पर होने वाला व्यय सम्मिलित नहीं है।
06. निजी विद्यालय इस अधिनियम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों एवं अन्य सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों के मध्य विद्यालय की सुविधाओं के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगें।
07. यदि विद्यालय को राज्य सरकार / राजस्थान आवासन मण्डल / विकास प्राधिकरण, नगर निगम / नगर पालिका / ग्राम पंचायतों आदि से भू–आवंटन की शर्तों में निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की किसी शर्त का उल्लेख है तो उस शर्त की सीमा तक पुनर्भरण देय नहीं होगा।
08. विभाग इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया / संबंधित दिशा–निर्देशों एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को सुनिश्चित करेगा तथा निजी स्कूलों में प्रवेश का उचित सत्यापन करने के उपरान्त ही राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग से उनकी आई.डी. संख्या 101503563 दिनांक 10.09.2015 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

(कुंजीलाल मीणा)
शासन सचिव–प्रारम्भिक शिक्षा

लगातार––2

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

कमांकः प.9(6) शिक्षा–5/यूनिट कॉस्ट/2015 जयपुर, दिनांकः 29-08-16

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राज. बीकानेर
9 - SEP 2016
प्राशि/निजी/रास/2496

विषयः– आर.टी.ई. प्रावधानानुसार निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय (Unit Cost) के निर्धारत बाबत।

संदर्भः– :– आपका पत्र कमांक शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/यूनिट कॉस्ट/18890/16–17/115 दिनांक 10.06.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानानुसार राज्य के निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण प्रति बालक व्यय रूपये 14,919/– (अक्षरे चौरह हजार नो सौ उन्नीस रूपये मात्र) प्रतिवर्ष तथा विद्यालयों को प्रति बालक प्रतिवर्ष दी जाने वाली निः शुल्क पाठ्य पुस्तकों की कीमत 110/– रू.किये जाने की निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. यह यूनिट कोस्ट सत्र 2016–17 के लिए लागू होगी।
2. प्रविष्ठ किये गये बालकों का सत्यापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने अपने नियंत्राधीन विद्यालयों में कराया जायेगा।
3. सत्यापन कार्य में प्रवेश प्रकिया की पारदर्शिता एवं बालकों की नियमित उपस्थिति का ध्यान रखा जायेगा।
4. इस यूनिट कोस्ट में निजी विद्यालयों द्वारा बालकों से वसूल किये जा रहे समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित माने जायेगे।
5. इस यूनिट कोस्ट में छात्रों के लिए निर्धारित विद्यालय गणवेश पर होने वाला व्यय सम्मिलित नहीं है।
6. निजी विद्यालय इस अधिनियम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों एवं अन्य सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों के मध्य विद्यालय की सुविधाओं के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगें।
7. यदि विद्यालय को राज्य सरकार/राजस्थान आवासन मण्डल/विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायतों आदि से भू–आवंटन की शर्तों में निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की किसी शर्त का उल्लेख है तो उस शर्त की सीमा तक पुनर्भरण देय नहीं होगा।
8. विभाग इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया/संबंधित दिशा–निर्देशों एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को सुनिशिचत करेगा तथा निजी स्कूलों में प्रवेश का उचित सत्यापन करने के उपरान्त ही राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगा ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग से उनकी आई.डी. संख्या 101603220 दिनांक 22.8.2016 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

(उमाशंकर त्रिपाठी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

लगातार—2

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/RTE/C/युनिट कॉस्ट/18890/2016–17/175 दिनांकः– 19-9-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. शासन सचिव, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. आयुक्त, रा.प्रा.शि.प., शिक्षा संकुल, जयपुर ।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया आपके अधिनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उक्त आदेश प्रसारित करने का श्रम करावें ।
4. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा ।
6. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा .... (समस्त)
7. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा .... (समस्त) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उक्त निर्देश प्रसारित करें ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

बिन्दु संख्या-6

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

कमांकः प. 21 (9)शि–1/प्राशि/2009 जयपुर, दिनांक : 29 मार्च, 2011

अधिसूचना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

(3) इनका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

भाग – 1
प्रारम्भिक

2. **परिभाषाएं.**– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) "अधिनियम" से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) अभिप्रेत है;

(ii) "आंगनबाड़ी" से भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन स्थापित कोई आंगनबाड़ी केन्द्र अभिप्रेत है;

(iii) "ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी" से किसी ब्लाक में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत है;

(iv) "निःशक्त बालक" से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के खण्ड (न) के अधीन 'निःशक्त व्यक्ति' की परिभाषा के अधीन आने वाला कोई बालक अभिप्रेत है;

(v) "आयुक्त/निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान" से राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् का प्रमुख अभिप्रेत है;

(vi) "निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा" से प्रारम्भिक शिक्षा का विभागाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(vii) "जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी" से किसी जिले में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत है;

(viii) "जिला" से राज्य का कोई राजस्व जिला अभिप्रेत है;

(ix) "कार्यकारी समिति" से किसी विद्यालय के दिन–प्रतिदिन के प्रबन्ध के लिए गठित कोई विद्यालय प्रबन्ध समिति अभिप्रेत है;

(x) "प्राथमिक विद्यालय" से कोई ऐसा विद्यालय अभिप्रेत है जो कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा प्रदान करता है;

(2) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार प्रवेश दिये गये बालक का पाठ्य पुस्तकों, वर्दियों, पुस्तकालय और सूचना, संसूचना और प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) सुविधाओं, अतिरिक्त पाठ्यचर्या और खेलकूदों जैसी हकदारियों और सुविधाओं के सम्बन्ध में किसी भी रीति में शेष बालकों से विभेद नहीं किया जायेगा।

(3) धारा 12 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार किये गये प्रवेशों के प्रयोजनों के लिए आसपास का क्षेत्र या सीमाएं सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर परिषद्/यथास्थिति, नगर निगम, जिसके भीतर वह विद्यालय स्थित है, की भौगोलिक सीमाएं होंगी :

परन्तु यदि किसी विद्यालय विशेष में प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों के लिए स्थानों की संख्या से अधिक हो तो वरीयता उस गाँव/नगर पालिका वार्ड, जिसमें ऐसा विद्यालय स्थित है, के बालकों को दी जायेगी।

(4) धारा 12 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार बालक का प्रवेश लॉट के ड्रा द्वारा किया जायेगा या राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर जारी किये गये निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(5) कोई विद्यालय या व्यक्ति, बालक को प्रवेश देते समय, कोई भी केपिटेशन फीस संगृहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता–पिता/संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग के अध्यधीन नहीं रखेगा।

(6) ऐसे विद्यालयों के मामले में, जिन्हें अनन्य रूप से बालकों या बालिकाओं के लिए स्थापित किया गया है, प्रवेश धारा 12 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अनुसार केवल बालकों या, यथास्थिति, बालिकाओं के लिए मंजूर किया जायेगा।

(7) सहायताप्राप्त और गैर–सहायताप्राप्त विद्यालयों और धारा 12 के अधीन विनिर्दिष्ट विद्यालयों में प्रवेश दिये गये छात्रों के कक्षावार नाम विद्यालय के प्रमुख स्थान/सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किये जायेंगे। यदि विद्यालय की वेबसाइट है तो ऐसे नाम विद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किये जायेंगे।

11. राज्य सरकार द्वारा प्रति–बालक–व्यय की प्रतिपूर्ति.– (1) राज्य सरकार द्वारा धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप–खण्ड (i) में निर्दिष्ट सभी विद्यालयों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक शिक्षा पर अपनी स्वयं की निधियों, और केन्द्रीय सरकार, और किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से उपगत कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, सभी ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों की कुल संख्या से विभाजित करने पर, राज्य सरकार द्वारा उपगत प्रति–बालक–व्यय होगा।

स्पष्टीकरण : प्रति–बालक–व्यय का अवधारण करने के लिए धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप–खण्ड (ii) में निर्दिष्ट विद्यालयों और ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपगत किया गया व्यय सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(2) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उप–धारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में उसके द्वारा प्राप्त रकम के सम्बन्ध में एक पृथक् बैंक खाता रखेगा।

(3) राज्य द्वारा उपगत प्रति–बालक–व्यय, राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली राज्य स्तरीय समिति द्वारा, प्रत्येक वर्ष संगणित किया जायेगा। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग या सचिव से अनिम्न रैंक का उसका प्रतिनिधि इस समिति का सदस्य होगा। गैर–सहायताप्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा इस समिति के सदस्य के रूप में

नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। समिति इन नियमों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् तीन मास के भीतर और, तत्पश्चात् आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनों के लिए प्रति–बालक–व्यय के निर्धारण के लिए प्रत्येक वर्ष मई मास में बैठक करेगी।

(4) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालयों में धारा 12 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार प्रवेश दिये गये बालकों के सम्बन्ध में फीस की प्रतिपूर्ति के लिए समस्त जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को समिति का विनिश्चय संसूचित करेगा।

(5) प्रतिपूर्ति वर्ष में दो बार सीधे विद्यालय को की जायेगी। अप्रेल से अगस्त की कालावधि के लिए पहली प्रतिपूर्ति अक्टूबर मास में की जायेगी और सितम्बर से शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक की कालावधि के लिए अन्तिम प्रतिपूर्ति जून के अन्त में की जायेगी।

(6) कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों के सम्बन्ध में प्रति–बालक–व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने वाला धारा 2 खण्ड (ढ) के उप–खण्ड (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय, अपना दावा विद्यालय में प्रवेश दिये गये कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों की सूची सहित राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में सम्बन्धित ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। दावा प्रत्येक वर्ष अगस्त और अप्रेल मास मे प्रस्तुत किया जायेगा।

(7) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अन्तिम प्रतिपूर्ति करने से पूर्व बालकों का नामांकन सत्यापित कर सकेगा या सत्यापित करवा सकेगा।

12. आयु के सबूत के लिए दस्तावेज.—जहाँ कहीं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं है वहां निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए बालक की आयु का सबूत समझा जायेगा :—

(क) अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम.) रजिस्टर/अभिलेख;
(ख) आँगनबाड़ी अभिलेख; और
(ग) माता–पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा।

13. प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि.— (1) प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ की तारीख से छह मास की होगी।

(2) जहाँ किसी बालक को विस्तारित कालावधि के पश्चात् किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है वहाँ वह विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा यथा–अवधारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने के लिए पात्र होगा।

14. विद्यालयों को मान्यता.— केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 (1992 का अधिनियम सं. 19) के अधीन मान्यता प्राप्त किये बिना स्थापित नहीं किया जायेगा या कृत्य नहीं करेगा।

15. विद्यालय की मान्यता वापस लेना.—राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 (1992 का अधिनियम सं. 19) के अधीन मान्यता, मंजूरी उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, किसी भी समय, वापस ली जा सकेगी।

(ग) किसी सदस्य को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना उसके पद से हटाया नहीं जायेगा।

(घ) यदि सदस्यों के पद में, चाहे मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा, कोई रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति 120 दिन की कालावधि के भीतर नयी नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।

(ङ) परिषद् के सदस्य, राज्य सरकार द्वारा समितियों, आयोगों के गैर–शासकीय सदस्यों, और ऐसे ही व्यक्तियों के प्रवर्गों के सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुसार शासकीय भ्रमणों और यात्राओं के लिए यात्रा और दैनिक भत्तों की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

भाग – 10
प्रकीर्ण

29. शंकाओं का निराकरण.– जहां इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों के निर्वचन या उनके लागू होने के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो वहां मामला सरकार के शिक्षा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(अशोक सम्पतराम)
प्रमुख शासन सचिव

RTE

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांकः प.9(6) शिक्षा-5/यूनिट कॉस्ट/2015 जयपुर, दिनांकः 29-08-16

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषयः- आर.टी.ई. प्रावधानानुसार निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय (Unit Cost) के निर्धारत बाबत।

संदर्भः- :- आपका पत्र क्रमांक शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/यूनिट कॉस्ट/18390/16-17/115 दिनांक 10.06.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानानुसार राज्य के निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण प्रति बालक व्यय रूपये 14,919/- (अक्षरे चौरह हजार नो सौ उन्नीस रूपये मात्र) प्रतिवर्ष तथा विद्यालयों को प्रति बालक प्रतिवर्ष दी जाने वाली निः शुल्क पाठ्य पुस्तकों की कीमत 110/- रू.किये जाने की निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह यूनिट कोस्ट सत्र 2016-17 के लिए लागू होगी।
2. प्रविष्ठ किये गये बालकों का सत्यापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने अपने नियंत्राधीन विद्यालयों में कराया जायेगा।
3. सत्यापन कार्य में प्रवेश प्रकिया की पारदर्शिता एवं बालकों की नियमित उपस्थिति का ध्यान रखा जायेगा।
4. इस यूनिट कोस्ट में निजी विद्यालयों द्वारा बालकों से वसूल किये जा रहे समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित माने जायेगे।
5. इस यूनिट कोस्ट में छात्रों के लिए निर्धारित विद्यालय गणवेश पर होने वाला व्यय सम्मिलित नहीं है।
6. निजी विद्यालय इस अधिनियम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों एवं अन्य सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों के मध्य विद्यालय की सुविधाओं के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगें।
7. यदि विद्यालय को राज्य सरकार/राजस्थान आवासन मण्डल/विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायतों आदि से भू-आवंटन की शर्तों में निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की किसी शर्त का उल्लेख है तो उस शर्त की सीमा तक पुनर्भरण देय नहीं होगा।
8. विभाग इस संबंध में निर्धारित प्रकिया/संबंधित दिशा-निर्देशों एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को सुनिश्चित करेगा तथा निजी स्कूलों में प्रवेश का उचित सत्यापन करने के उपरान्त ही राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग से उनकी आई.डी. संख्या 101603220 दिनांक 22.8.2016 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

(उमाशंकर त्रिपाठी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव
लगातार--2

बिन्दु संख्या -9 (175)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 शिक्षा मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. निजी सचिव, आयुक्त, सर्वशिक्षा अभियान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग।
9. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग।
10. उप शासन सचिव, आयोजना, जनशक्ति विभाग।
11. वित्तीय सलाहकार, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
12. वित्तीय सलाहकार, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी

परिशिष्ट-9

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/RTE/C/युनिट कॉस्ट/18890/2016–17/175 दिनांकः– 19-9-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. शासन सचिव, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. आयुक्त, रा.प्रा.शि.प., शिक्षा संकुल, जयपुर ।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया आपके अधिनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उक्त आदेश प्रसारित करने का श्रम करावें ।
4. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा ।
6. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा .... (समस्त)
7. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा .... (समस्त) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उक्त निर्देश प्रसारित करें ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

परिशिष्ट - 10

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/RTE/C/पुनर्भरण/18882/16–17/प्रथम किस्त/24 दिनांकः– 25-11-16

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा
(समस्त)..............................
ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
(समस्त)....................................

विषयः–आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2016–17 में गैर सरकारी विद्यालयों में 25% सीटों पर प्रवेशित निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों के संबंध में प्रथम किस्त की प्रतिपूर्ति राशि के पुनर्भरण के संबंध में ।

प्रसंगः–राज्य सरकार का पत्रांकः–प.9(6)शिक्षा–5/यूनिट कॉस्ट/2015 जयपुर दिनांक 29.8.2016 एवं 04.11.2016 तथा राज्य स्तरीय समन्वय समिति(SLCC) की बैठक दिनांक 15.09.16 में लिये गये निर्णयों के बिंदु संख्या 01 की पालना के क्रम में ।

उपरोक्त प्रासांगिक विषयांतर्गत लेख है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2016–17 में नव प्रवेशित एवं पूर्व वर्षों के क्रमोन्नत बालकों के संबंध में सत्र 2016–17 की प्रथम किस्त के पुनर्भरण राशि का भुगतान राज्य सरकार का पत्रांकः–प.9(6)शिक्षा–5/यूनिट कॉस्ट/2015 जयपुर दिनांक 29.8.2016 एवं 04.11.2016 तथा राज्य स्तरीय समन्वय समिति(SLCC) की बैठक दिनांक 15.09.16 में लिये गये निर्णयों के बिंदु संख्या 01 की पालना के क्रम में गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में किया जाना है। इस संबंध में संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा कार्यालयों द्वारा आरटीई वेब पोर्टल (rte.raj.nic.in) पर ऑनलाईन बजट डिमांड जनरेट करने, निदेशालय प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा संबंधित कार्यालयों को ऑनलाईन बजट राशि आवंटन करने, संबंधित कार्यालयों द्वारा आवंटित बजट राशि के अनुसार ऑनलाईन पास ऑर्डर जारी कर पे–मेनेजर से इन्टीग्रेट कर ऑनलाईन बिल तैयार कर कोषालय प्रेषित कर भुगतान करवाने के संबंध में निम्नानुसार विस्तृत निर्देश प्रदान किये जाते हैं–

1. प्राथमिक/उप्रा गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की प्रविष्टि तथा कार्यालयों द्वारा उसकी पुष्टि किये जाने के पश्चात् संबंधित प्रा/उ.प्रा गैर सरकारी विद्यालय द्वारा क्लेम बिल की सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड (एडी) डाक से कार्यालय में प्राप्त होने पर संबंधित बीईईओ/जिशिअ. प्रा.शिक्षा कार्यालयों द्वारा तत्काल ऑनलाईन बजट डिमान्ड जनरेट की जायेगी जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के लॉगइन में दिखाई देगी । प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के बजट अनुभाग द्वारा संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्रा. शिक्षा कार्यालयों को उनकी मांग के अनुसार तत्काल बजट राशि जारी की जायेगी ।
2. इसी प्रकार मा./उच्च्य मा. गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की प्रविष्टि तथा जिशिअ. मा. शिक्षा कार्यालयों द्वारा उसकी पुष्टि किये जाने के पश्चात् संबंधित मा/उ.मा गैर सरकारी विद्यालय द्वारा क्लेम बिल की सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड (एडी) डाक से कार्यालय में प्राप्त होने पर संबंधित जिशिअ मा.शिक्षा कार्यालयों द्वारा तत्काल ऑनलाईन बजट डिमान्ड जनरेट की जायेगी, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के लॉगइन में दिखाई देगी । माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बजट अनुभाग द्वारा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के बजट अनुभाग से समेकित रूप से बजट डिमांड की जायेगी जिसके आधार पर एकमुश्त बजट राशि जारी की जायेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा प्राप्त बजट राशि में से संबंधित जिशिअ माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों को उनकी मांग के अनुसार बजट राशि आवंटित की जायेगी ।
3. शैक्षिक सत्र 2016–17 की प्रथम किस्त के पुनर्भरण हेतु पास ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया को पे–मैनेजर से इन्टीग्रेट किया जा चुका है। अर्थात् एक बार ऑनलाईन पास ऑर्डर जारी हो जाने के बाद उसे विभागीय स्तर पर ख़िरस्त किया जाना संभव नहीं होगा। कोषालय एवं वित्त विभाग के मध्य लंबी एवं जटिल प्रक्रिया अपनाया जाना भी असंभव कार्य होगा। अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारी पास ऑर्डर जारी करते समय संबंधित अधिकारी/कार्मिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर को इस संबंध में पूर्ण सावधानी से कार्य करने के निर्देश देते हुए स्वयं की देखरेख में इस कार्य को संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करें । यदि किसी अधिकारी/कार्मिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा लापरवाही से कार्य करने के कारण गलत पास ऑर्डर जारी किया जाता है तो तत्काल जांच कर उनके विरूद्ध सक्षम स्तर से अनुशासनिक कार्यवाही करवाने की कार्यवाही आवश्यक रूप से करें ।

016

4. निदेशालय के ध्यान में आया है कि सत्र 2015–16 में प्रथम किस्त के भुगतान के समय बजट के अभाव में भी पासऑर्डर जारी कर लिये गये थे जो कि नियमानुसार उचित नहीं है । अतः शैक्षिक सत्र 2016–17 में पास ऑर्डर जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि जिन गैर सरकारी विद्यालयों का पास आर्डर जारी किया जा रहा है उनकी बजट राशि आरटीई मद में उपलब्ध है । बजट की कमी/अभाव की स्थिति में पासऑर्डर किसी भी स्थिति में जारी नहीं करे, क्योंकि गलत/बजट के अभाव में पासऑर्डर जारी किये जाने की स्थिति में उसे निरस्त किये जाने की व्यवस्था नहीं है ।
5. शैक्षिक सत्र 2016–17 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त का पुनर्भरण करने हेतु पास ऑर्डर जारी करते समय राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः–प.9(6)शिक्षा–5/यूनिट कॉस्ट/2015 जयपुर दिनांक 29.8.2016 एवं 04.11.2016 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना संबंधित आहरण वितरण अधिकारी बीईईओ/जिशिअ प्रा. शिक्षा/मा.शिक्षा कार्यालयों द्वारा की जावे।
6. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक गैर सरकारी विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2016–17 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त का पुनर्भरण संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्रा.शिक्षा कार्यालयों द्वारा किया जायेगा। अतः संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्रा.शिक्षा के कार्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का ऑनलाईन मिलान करने पर सही पाये जाने की स्थिति में **प्रथम किस्त** का भुगतान करने हेतु तत्काल ऑनलाईन बजट डिमांड जनरेट की जावे जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के लॉगईन में दिखाई देगी। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा के बजट अनुभाग द्वारा तत्काल ऑनलाईन बजट जारी किया जावे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर से प्राप्त बजट राशि के अनुसार ही ऑनलाईन पास ऑर्डर जारी कर पे–मैनेजर से लिंक किया जाकर बिल बनाकर कोषालय से ही पुनर्भरण राशि गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में अंतरित कर दिनांक **15.01.2017** से पूर्व भुगतान करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक गैर सरकारी विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2016–17 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त का पुनर्भरण संबंधित जिशिअ माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों द्वारा किया जाएगा। अतः संबंधित जिशिअ माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का ऑनलाईन मिलान करने पर सही पाये जाने की स्थिति में **प्रथम किस्त** का भुगतान करने हेतु तत्काल ऑनलाईन बजट डिमांड जनरेट की जावे जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के लॉगईन में दिखाई देगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के बजट अनुभाग द्वारा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के बजट अनुभाग से समेकित रूप से बजट डिमांड की जावे जिसके आधार पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के बजट अनुभाग द्वारा एकमुश्त बजट राशि जारी की जावे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर प्राप्त बजट राशि में से संबंधित जिशिअ मा.शिक्षा कार्यालयों को उनकी मांग के अनुसार बजट राशि आवंटित करेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से प्राप्त बजट राशि के अनुसार ही ऑनलाईन पासऑर्डर जारी कर पे–मैनेजर से लिंक किया जाकर बिल बनाकर कोषालय से ही पुनर्भरण राशि गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में अंतरित कर दिनांक **15.01.2017** से पूर्व भुगतान करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. वित्तीय वर्ष 2015–16 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा उनके नियन्त्रणाधीन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों को बजट राशि आवंटित की गई परन्तु वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर (31.03.2016 को) अत्यधिक राशि लेप्स (lapse) हो गई जो सही नहीं है तथा प्रारंभिक शिक्षा के बहुत से बीईईओ कार्यालय बजट के अभाव में गैर सरकारी विद्यालयों को भुगतान नहीं कर सके। अतः चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा इस संबंध में प्रभावी मोनीटरिंग किया जाना सुनिश्चित करावें। यदि किसी जिशिअ माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में अधिक राशि बचत रहती है तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व आवश्यकता वाले जि.शि.अ माध्यमिक शिक्षा कार्यालय को वह राशि आवंटित की जावे अथवा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को बचत राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व समर्पित (surrender) कर दी जावे।
9. संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा कार्यालय पासऑर्डर जारी करते समय संबंधित गैर सरकारी बिद्यालय का बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड संख्या आवश्यक रूप से मिलान कर लेवें । सही नहीं होने की स्थिति में ऐसे विद्यालय का पासऑर्डर जारी नहीं करें तथा बैंक खाता संख्या एवं बैंक IFSC कोड सही करवाकर ही पास ऑर्डर जारी करें ।
10. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा पासऑर्डर का 'ड्राफ्ट' (draft) तैयार कर हार्ड कॉपी निकालकर मिलान करने के पश्चात् ही अंतिम रूप से पास ऑर्डर जारी किया जावे जिससे गलत पास ऑर्डर जारी होने की संभावना नहीं रहे।
11. शैक्षिक सत्र 2016–17 की प्रथम किस्त के भुगतान हेतु संबंधित गैर सरकारी विद्यालय 05 जनवरी 2017 से पूर्व क्लेम बिल जनरेट कर रजिस्टर्ड (एडी) डाक से संबंधित कार्यालयों को प्रेषित करेंगे। इस अवधि तक क्लेम बिल संबंधित कार्यालयों को प्रेषित नहीं किये जाने के कारण यदि गैर सरकारी विद्यालय

जनवरी 2017 तक प्रेषित करेंगे ।

12. संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर पर अपने नियंत्रणाधीन समस्त गैर सरकारी विद्यालयों को निर्देश प्रदान करावें कि वे क्लेम बिल दिनांक 05 जनवरी 2017 से पूर्व संबंधित कार्यालयों में रजिस्टर्ड (एडी) डाक से प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

13. आरटीई वेब पोर्टल (rte.raj.nic.in) पर पासऑर्डर जारी करने, बिल बनाने, क्लेम बिल जारी करने, क्लेम बिल निरस्त करवाने, सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करने, सत्यापन रिपोर्ट का ऑनलाईन मिलान करते समय संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा/गैर सरकारी विद्यालय द्वारा अनुभूत की जाने वाली किसी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर स्थित आरटीई के केन्द्रीय कंट्रोल रूम (Central Control Room) जयपुर के दूरभाष नंबर 0141–2719073, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के दूरभाष नम्बर 0151–2220140 एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के दूरभाष नम्बर 0151–2226055 पर संपर्क करें तथा समस्या का पूर्ण विवरण संबंधित कार्यालय द्वारा पत्र लिखकर केन्द्रीय कंट्रोल रूम, शिक्षा संकुल, जयपुर के ई–मेल आईडी rteccrhelp@gmail.com पर मेल करें ।

<u>केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम, शिक्षा संकुल, जयपुरः–</u>

दूरभाष नंबर– 0141–2719073 (जयपुर) Email ID– rteccrhelp@gmail.com

<u>प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेरः</u>–(प्रा./उ.प्रा. वि./बीईईओ/जिशिअ प्रा.शिक्षा कार्यालयों के संबंध में)

दूरभाष नंबर– 0151–2220140 (बीकानेर) Email ID– ddrtebknr@gmail.com

<u>माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेरः</u>–(मा/उ.मा. विद्यालय/जिशिअ मा.शिक्षा कार्यालयों के संबंध में)

दूरभाष नंबर– 0151–2226055 (बीकानेर) Email ID– ad.rte.dse@rajasthan.gov.in

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
3. वरिष्ठ शासन उपसचिव शिक्षा (ग्रुप–5) शासन सचिवालय, जयपुर ।
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा से उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें ।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि बिन्दु सं. 1, 2, 6, 7 एवं 8 के अनुसार बजट आवंटन की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) कार्यालय हाजा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ।
7. उपायुक्त (आरटीई), राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
8. प्रोजेक्ट प्रभारी आरटीई पोर्टल, NIC केन्द्र, खंड 6, प्रथम तल, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
9. उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा (समस्त)...................... को भेजकर लेख है कि अपने मंडल के अधीन बीईईओ/जिशिअप्राशि कार्यालयों से उक्त निर्देशों की पालना करवाना सुनिश्चित करावें तथा कार्यालय में प्रभावी मोनिटरिंग कर की गई कार्यवाही से रजिस्टर्ड डाक द्वारा निदेशालय को प्रेषित करें ।
10. सहायक लेखाधिकारी (बजट), बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि बिंदु संख्या 1, 2, 6, 7 एवं 8 के अनुसार बजट आवंटन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।
11. सहायक निदेशक (आरटीई), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि जिशिअमाशि कार्यालयों द्वारा प्रथम किस्त का भुगतान कार्य समय पर पूर्ण करवाने हेतु आपके अनुभाग द्वारा प्रभावी मोनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करावें ।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर